

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10244 / 1881

दिनांक : 18/12/2024

सेवा में

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of Open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail outlet by M/s Indial Oil Corporation Ltd. Khasra No. 161//3 at Village Lohani on Bhiwani-Loharu Road (NH-709B), Km. 136-702(R/Side), under forest Division and District Bhiwani, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/OTHERS/150474/2021

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB151/2022-CHA दिनांक 29.07.2022 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी, भिवानी से प्राप्त सूचना आपको संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक(एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

18/12/24
17/12/24



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forest Officer, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 1067
सेवा में:-

दिनांक / 16/11/2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :-

Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

Proposal no. FP/HR/Others/150474/2021.

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10211/2339 दिनांक 28.10.2022.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस दिनांक 31.12.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2621 दिनांक 10.01.2022 द्वारा वन राजिक अधिकारी, भिवानी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई। दिनांक 10.01.2022 को वन रक्षक द्वारा वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की क्षति रिपोर्ट नं0 086/0679, IFA 1927 के तहत चाक की गई थी, क्योंकि उस समय तक वन रक्षक को इस बारे में ज्ञात नहीं था कि उक्त केस की स्वीकृति हेतु यूजर एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है, जिस कारण वन रक्षक द्वारा क्षति रिपोर्ट IFA 1927 के तहत चाक की गई। तदोपरान्त क्षति रिपोर्ट के एवज में मुआवजा राशि GRN No. 009078799 दिनांक 26.05.2022 CIN No. 48565807 दिनांक 27.05.2022 द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई। उक्त वर्णित स्थिति अनुसार IFA 1927 के तहत कार्यवाही की गई है। यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
भिवानी।

16/11 16/11